संशोधित प्रेस–विज्ञप्ति
राजस्व विभाग, उ0प्र0
लेखपाल भर्ती परीक्षा–2015

जनपद का नाम–सहारनपुर — परीक्षा का नाम : लेखपाल राजस्व

विज्ञापन संख्या 4140/सात–भूलेख — दिनांक 02 जुलाई, 2015

आवेदन पत्र स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अंतिम तिथि – 22 जुलाई, 2015

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि – 21 जुलाई, 2015

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक 30 अगस्त, 2015 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा आन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

रिक्तियों का विवरण

कम	पदनाम	दिनांक 01–07–2015 को आयु	वेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पद हेतु शैक्षिक अर्हता	पद हेतु अधिमानी अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखपाल	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	रु0 5200–20200 (ग्रेड पे–2000)	151	100	9	3	39	माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण	1–प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2–राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

1– लेखपाल पदों की भर्ती उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2– दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती(आयु सीमा) नियमावली–1972 यथा संशोधित 2012 एवं वर्तमान में प्रभावी नियमों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार छूट प्रदान की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिको, उ0प्र0 समाज के विकलांगो तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

3– शासनादेशानुसार लेखपालों के लिए विकलांगता की श्रेणी अपेक्षित स्तर का आंशिक श्रवणह्रास(पी0डी0) चिन्हांकित है।

4– लेखपाल पद पर भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए पात्र न होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

5– सेवा में लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

6– किसी व्यक्ति को सेवा में लेखपाल पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

7– परीक्षा /साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

8– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र मूलरूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9– अभ्यर्थी के अर्ह एवं अन अर्ह होने के सम्बन्ध में अध्यक्ष चयन समिति/जिलाधिकारी सहारनपुर का निर्णय अन्तिम होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र या चुनौती मान्य नही होगी।

10– ऑन–लाइन फार्म दिनांक 22.07.2015 तक जमा किये जा सकेगें। अनारक्षित (सामान्य) और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 300/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

11– प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा।

12– परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा । परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के सम्बन्ध में तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in और जिले की वेबसाइट http://saharanpur.nic.in पर उपलब्ध होगा।

13– ऑन लाइन आवेदन का प्रारूप, ऑफ लाइन परीक्षा सम्बन्धी निर्देश, अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य प्रसांगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद के वेबसाइट http://bor.up.nic.in पर और जिले की वेबसाइट http://saharanpur.nic.in पर उपलब्ध होगा।

14– लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 16–06–2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क/फार्म स्वीकार (SUBMIT) किये जा चुके हैं उन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/फार्म नही भरे जायेगें। उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिए भी मान्य होगा।

4/7/15
(डा0 इन्द्रवीरसिंह यादव)
अध्यक्ष, चयन समिति/जिलाधिकारी
सहारनपुर।

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग–4, लखनऊ।
2– आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
3– सहायक निदेशक, सूचना, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु एवं निशुल्क प्रकाशनार्थ ।
4– प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला/हिन्दुस्तान, सहारनपुर को इस आशय से कि विज्ञप्ति का प्रकाशन उपरान्त बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4/7/15
अध्यक्ष, चयन समिति/जिलाधिकारी
सहारनपुर।